



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 19, शुक्रवार, शाके 1939-जून 9, 2017 Jyaistha 19, Friday, Saka 1939-June 9, 2017	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 08, 2017

जी.एस.आर.33 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम संख्यांक 47 के सामने स्तंभ 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पीडीकोर, वेपकोस, नेबकॉन, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.) से" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "निम्नलिखित में से किसी से:-
1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)
 2. पीडीकोर
 3. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम,

59(2)

राजस्थान राज-पत्र, जून 9, 2017

भाग 4 (ग)

4. नेबकॉन, नाबार्ड का पूर्णरूपेण स्वामित्व वाले किसी समनुषंगी
 5. राईट लि., भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन
 किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से
 प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 52 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 53 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

53	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार से संबंधित विशेषज्ञीय सेवायें	प्रगत विकास केन्द्र, भारत सरकार (सी-डैक)	संगणन	उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।
----	---	--	-------	---

[संख्या एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

FINANCE (SPEFC) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 08, 2017

G.S.R33 .-In exercise of the powers conferred by sub-

section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendments in this department's notification number

F. 1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

- (i) In column 3 against serial number 47, for the existing expression "From PDCOR, WAPCOS, NABCON, Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC)", the expression

"From any of the following:-

1. Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC)
2. PDCOR
3. WAPCOS, a public sector enterprise under the aegis of the Union Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India.
4. NABCON, a wholly owned subsidiary of NABARD.
5. RITES Ltd., a public sector enterprise under the aegis of Indian Railways, Government of India." shall be substituted; and

- (ii) after the existing serial number 52 and entries thereto, the following new serial number 53 and entries thereto shall be added, namely:-

53	Specialized services, related to IT, Electronics and Telecommunications.	Centre for Development of Advanced Computing, Government of India, (C-DAC)	Approval of the Finance Department shall be obtained before procurement.
----	--	--	--

[No. F.2 (1)/FD/SPFC/2017]

By Order of the Governor,

Manju Rajpal,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.